कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या– /स0सु0/ई–52609/1–8(206)/2025 दिनांक जनवरी, 2025

समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा),
समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन),
उत्तराखण्ड।

विषयः निर्धारित मानकों के अनुसार दुर्घटना संभावित स्थलों के चिन्हीकरण किये जाने के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के कार्यालयादेश संख्या–1/117758/2024 दिनांक 30–09–2024 एवं पत्र संख्या–1/128570/2024 दिनांक 14–11–2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके अन्तर्गत मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में राज्य में दुर्घटना संभावित स्थलों के चिन्हीकरण हेतु मानक निर्धारित करते हुए अपने क्षेत्रों में दुर्घटना संभावित स्थलों का पुर्नमूल्यांकन करने और संशोधित सूची/सूचना जिला सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में अभी तक किसी भी जनपद से नए मानकों के अनुसार दुर्घटना संभावित स्थलों के चिन्हीकरण किए जाने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि राज्य में लगातार वाहन दुर्घटनाओं में वृद्धि परीलक्षित हो रही है और यदि समय रहते दुर्घटना संभावित स्थलों का चिन्हीकरण एवं सुधारीकरण कर लिया जाए तो सड़क की खराबी के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। इसके अतिरिक्त निकट भविष्य में चार–धाम यात्रा भी प्रारम्भ होने वाली है, यात्रा से पूर्व भी सड़कों को सुरक्षित बनाया जाना आवश्यक है ताकि राज्य में आने वाले तीर्थयात्रियों/पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि माह फरवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह तक मार्ग सर्वेक्षण की कार्यवाही पूर्ण करते हुए नए मानकों के अनुसार दुर्घटना संभावित स्थलों का चिन्हीकरण करना सुनिश्चित करें और चिन्हित स्थलों की सूची (अक्षांश/देशान्तर सहित) संबंधित कार्यदायी संस्था एवं इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से दिनांक 28–02–2025 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

Signed by
Sanat Kumar Singh
Date: 16-01-2025 15:14:17

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

2. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन/लो0नि0वि0/गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक, यातायात, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति, उत्तराखण्ड।
7. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
8. समस्त सचिव, जिला सड़क सुरक्षा समिति, उत्तराखण्ड।

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड
सहस्त्रधारा रोड़, कुल्हान, देहरादून।
E-mail-rscelluk@gmail.com

संख्या /स0सु0/1–8(206)/ई–52609/2024 दिनांकः सितम्बर, 2024

कार्यालयादेश

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ब्लैक स्पॉट के चिन्हिकरण हेतु मानक निर्धारित किए गए हैं, जिसके आधार पर पुलिस विभाग द्वारा प्रति वर्ष घटित सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें होने वाली मृत्यु के आधार पर ब्लैक स्पॉट का चिन्हिकरण किया जाता है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जिला सड़क सुरक्षा समितियों के माध्यम से दुर्घटना संभावित स्थलों का भी चिन्हिकरण किया गया है। ब्लैक स्पॉट के चिन्हिकरण हेतु मानकों का निर्धारण भारत सरकार स्तर से किया गया है, जिसे उत्तराखण्ड राज्य में भी अंगीकृत किया गया है, परन्तु दुर्घटना संभावित स्थलों का चिन्हिकरण संबंधित अधिकारियों द्वारा स्वविवेक के आधार पर किया जाता है।

2. वर्तमान सूचना के अनुसार राज्य में 174 ब्लैक स्पॉट एवं 2642 दुर्घटना संभावित स्थल चिन्हित हैं, जिनके सुधार की कार्यवाही संबंधित सड़क निर्माण विभाग द्वारा की जा रही है। दिनांक 09–01–2024 को मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में यह निर्देश दिए गए हैं कि ब्लैक स्पॉट की भॉति ही दुर्घटना संभावित स्थलों के चिन्हिकरण हेतु मानकों का निर्धारण कर दिया जाए। उक्त निर्देशों के अनुपालन में पुलिस विभाग एवं लोक निर्माण विभाग से परामर्श प्राप्त किया गया और उक्त परामर्श के आधार पर राज्य में विभिन्न श्रेणी के मार्गों पर दुर्घटना संभावित स्थलों के चिन्हिकरण हेतु निम्नवत् मानक निर्धारित किए जाते हैंः–

क0 सं0	इंजीनियरिंग कार्य का प्रकार		प्रस्तावित मानक
1	मार्ग की चौड़ाई सम्बन्धी मानक	(1)	ऐसा स्थान जहां सड़क की कुल चौड़ाई निर्धारित मानक से 20 प्रतिशत या उससे अधिक कम हो।
		(2)	वह स्थान जहां मार्ग संकरा/बोटलनेक हो।
		(3)	भ–स्खलन क्षेत्र/पहाड़ी से बोल्डर/पत्थर गिरने की संभावना वाले क्षेत्र।
		(4)	मार्ग की सतह बजरी, रोड़ी, पत्थर व मलबे इत्यादि से मुक्त हो।
2	मार्ग पर मोड़ के सम्बन्ध में	(1)	मोड़ो पर पेंच/पोट हॉल उपस्थित हो।
		(2)	जहां सुपर एलीवेशन शून्य या उससे कम हो।
		(3)	ऐसे जंक्शन, जहां निर्धारित मानक के ट्रैफिक कामिंग उपाय न किये गये हों।
		(4)	घुमावदार मार्गो के बाहरी कर्व पर पैरापिट/क्रैश बैरियर न लगे हो अथवा उन पर समुचित सुरक्षा उपाय यथा–रिफ्लेक्टर, डेलीनेटर, सेवरॉन बोर्ड, रोड मार्किंग आदि न किये गये हो।

		(5)	जहां अंधा मोड़/तीव्र मोड़ हो जिसके कारण सामने से आते हुए वाहन दिखाई नहीं देना।
3	ढलान के सम्बन्ध में	(1)	ऐसे पर्वतीय मार्ग, जहां मोड़ो पर तीव्र ढलान हो।
		(2)	ऐसे तीव्र ढलान वाले स्थान जहां कोई सूचना संकेत/स्पीड कामिंग उपाय न किए गए हों।
4	रोड़ फर्नीचर के सम्बन्ध में	(1)	मार्गो पर बने पुल फ्लाई ओवर के दोनों तरफ रैलिंग, पब्लिक पैराफिट न लगी हो।
		(2)	मार्गो पर दायें या बाये तरफ 10 मी0 या उससे अधिक गहरी खाई होने तथा रैलिंग/क्रैश बैरियर/पैरापिट्स न हो।
		(3)	सभी ट्रैफिक सिग्नल/लाईट सुस्पष्ट व ठीक से कार्य कर रहे हो।
		(4)	वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र होने के उपरान्त भी वहां समुचित एवं दर्शनीय सूचना पट्ट न लगाए गए हों।
		(5)	यातायात के सुरक्षित ओवर टेकिंग हेतु अवसर उपलब्ध न होने के उपरान्त भी समुचित एवं दर्शनीय सूचना पट्ट न लगाए गए हों।
		(6)	रात्रि में वाहन संचालन हेतु आवश्यक सुरक्षा उपाय यथा–रिफ्लेक्टर, डेलीनेटर, सेवरॉन बोर्ड, रोड मार्किंग आदि न किये गये हो।
		(7)	रात्रि के समय आवश्यक स्थलों (क्रॉसिंग, रिहायशी इलाका, बस स्टॉप, टोल प्लाजा तथा ट्रक ले बाई आदि) पर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था न हो।
5	अन्य	(1)	अनाधिकृत रूप से खोले गये मीडियन।
		(2)	ऐसे मीडियन, जहां प्रारम्भिक एवं अन्तिम बिन्दु पर हैजार्ड बोर्ड न लगे हो।
		(3)	ऐसे स्थान जहां सड़क अथवा शोल्डर पर बिजली के खंबे, पेड़ होर्डिंग्स इस प्रकार लगे हो, जिनसे सुरक्षित यातायात की दृश्यता बाधित होती हो।

3. अतः जिला सड़क सुरक्षा समितियों को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में दुघ्र्टना संभावित स्थलों का चिन्हिकरण उपरोक्त मानकों के अनुसार किया जाए। इसके अतिरिक्त विभिन्न जनपदों में वर्तमान में चिन्हित स्थलों का पुर्नमूल्यांकन कर लिया जाए और दुर्घटना संभावित स्थलों के संबंध में संशोधित सूची/सूचना उपलब्ध करायी जाए।

(बृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।

Signed by
Shri Brijesh Kumar Sant
Date: 27-09-2024 15:55:18

संख्या स0सु0 / एक–8(206) / ई–52609 / 2024 समदिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव / सचिव, परिवहन / गृह / लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

2– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय, देहरादून।

3– पुलिस महानिरीक्षक / निदेशक, यातायात, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

5– समस्त जिला मजिस्ट्रेट / अध्यक्ष, जिला सड़क सुरक्षा समिति, उत्तराखण्ड।

6– समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन / सड़क सुरक्षा) उत्तराखण्ड।

7– समस्त सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।

8– समस्त सचिव, जिला सड़क सुरक्षा समिति, उत्तराखण्ड।

(बृजेश कुमार संत)
परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड।